भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5932

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों का विकास

†5932. श्री संजय दिना पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र में प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने हेतु पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विरासत स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में तटीय पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त राज्य में पर्यटन अवसंरचना, संपर्कता, डिजिटल प्रचार-प्रसार तथा आगंतुक सुविधाओं में सुधार कर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): पर्यटक स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन (एसडी), स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र में तटीय पर्यटन, इको-पर्यटन और सांस्कृतिक परिपथों के साथ-साथ देश भर में पर्यटन स्थलों पर अंतिम छोर तक संपर्कता और अन्य सुविधाओं सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है। यह वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से योजना दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के अनुरूप विस्तृत

परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति, निधियों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

इनके अलावा, पर्यटन मंत्रालय भारत को पर्यटक सृजन वाले बाजारों में एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने और वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अजंता और एलोरा गुफाओं आदि जैसे विरासत स्थलों सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है। इन उद्देश्यों को एक एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक रणनीति के साथ एवं यात्रा व्यापार जगत, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन; भारतीय खाद्य एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और उनमें सहयोग; टूर ऑपरेटरों को ब्रोशर संबंधी सहायता प्रदान करना, वैश्विक मीडिया अभियान और एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों और अन्य संगठनों आदि के साथ संयुक्त विज्ञापन/संयुक्त संवर्धन करना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2020-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विदेशी पर्यटकों का आगमन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**एफटीवी**
1.	2020	1,262,409
2.	2021	185,643
3.	2022	1,511,623
4.	2023	3,387,739
5.	2024	3,705,170

स्वदेश दर्शन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में तटीय पर्यटन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

परिपथ/स्वीकृति वर्ष	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
तटीय परिपथ 2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ - सागरेश्वर, तारकर्ली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), मितभव का विकास	19.06

*****